न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 14 / 2024 तारीख रजू:–11.09.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024 / 110

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

1. सुनील पुत्र मायाराम जाति ब्राम्हण
2. सोहनलाल पुत्र मायाराम जाति ब्राम्हण
निवासीयान भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ जरिये अध्यक्ष मन्दिर विकास समिति (पुजारी) सत्यप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति ब्राम्हण, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री सोराज गुर्जर एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1:– श्री हरिराम प्रजापत एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–18.11.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ आवेदकों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1363 रकबा 0.58 है0 ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है।

❖ आवेदकों की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 1402 की उत्तरी मेड़ पर होकर फिर खसरा नंबर 1362 की पूर्वी मेड़ के सहारे होते हुए आवेदकों की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका नक्शाशीट में अंकन फरमाये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किया जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब पेश किया है कि माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ जरिये अध्यक्ष मन्दिर विकास समिति (पुजारी) सत्यप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति ब्राम्हण की कृषि भूमि खसरा नंबर 1402 व खसरा नंबर 1362 में नियमानुसार रास्ता दिया जाकर न्यायालय के आदेशानुसार कीमत माफी मंदिर श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.11.19 10:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ के अध्यक्ष सचिव विकास समिति के खाते में जमा करवाये जावे तो समिति अध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2464 दिनांक 16.10.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- ❖ आवेदक पक्षकार सुनील, सोहनलाल पि0 मायाराम जाति ब्राम्हण सा0 देह के नाम ग्राम भगवतगढ़ ए के आराजी खसरा नंबर 1363 रकबा 0.58 है0 हिस्सा सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज है।

- ❖ प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा नंबर 1402, 1362 व 1361 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिये आते जाते हैं। खसरा नंबर 1402, 1362 व 1361 में वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं निकलता है।

- ❖ आराजी खसरा नंबर 1402, 1361 व 1362 खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 1402/0.63, 1362/0.18 किता 2 रकबा 0.81 है0 माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ हिस्सा सम्पूर्ण के नाम खतेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 1361 रकबा 1.03 है0 ईस्माइल पुत्र समसू जाति नाई के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

- ❖ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के निकटतम अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1416 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक से खातेदारी खसरा नंबर 1402, 1361 व 1362 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1303 तक प्रार्थीगण आते जाते हैं।

- ❖ प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1402, 1362 व 1361 में से होकर रास्ता दिया जाना आवश्यक है, ताकि दिये जाने वाला प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के लिये लघुत्तम व सुविधाजनक हो। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु खसरा नंबर 1402, 1362 व 1361 के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

- ❖ आराजी खसरा नंबर 1402 की उत्त[illegible] 2 मीटर चौड़ा, खसरा नंबर 1362 की पूर्वी मेड़ के सहारे [illegible] मीटर [illegible] व 2 मीटर चौड़ा व खसरा नंबर 1361 की दक्षि[illegible] 64 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को चाहिए। इस तरह कु[illegible] भूमि 260 वर्गमीटर या 0.0260 है0 भूमि रास्ते में जायेगी।

- ❖ रास्ते में से आने वाली भूमि 0.0260 है0 की राशि डीएलसी दर से 28600/– रूपये होगी, जो कि प्रार्थीगण को भुगतान करनी होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 दौराने बहस अनुपस्थित। प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

6. प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 1402 की उत्तरी मेड़ पर होकर फिर खसरा नंबर 1362 की पूर्वी मेड़ के सहारे होते हुए आवेदकों की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया है, जो कि माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 1402, 1361 व 1362 प्रस्तावित किये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ ने खसरा नंबर 1402 व खसरा नंबर 1362 में से रास्ता दिये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। चूंकि खसरा नंबर 1402 व खसरा नंबर 1362 माफी मंदिर श्री केशवरायजी महाराज विराजमान भगवतगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 मात्र पुजारी है। माफी मंदिर की भूमि का पुजारी मात्र संरक्षक होता है, जो कि माफी मंदिर की भूमि से प्राप्त उपज से जीवन यापन कर सकता है अथवा मंदिर के विकास में खर्च कर सकता है, परन्तु मंदिर माफी की जमीन की किस्म परिवर्तन करने हेतु पुजारी की सहमति की कोई अहमियत नहीं होती है। यदि मंदिर माफी की भूमि देवस्थान विभाग के अधीन हो तो भी देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि देवस्थान विभाग के अधीन है अथवा नहीं। साथ ही प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 1361 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रभावित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18.11.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:16 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा